



इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान (राज्य ग्रामीण विकास संस्थान)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004

फोन : 0141-2702784, 2706577-78 फैक्स : 2706575

E-Mail: igprgvs@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ4(161)CT भण्डार/आईजीपीआरएस/2019/ ५२५५

दिनांक: ३/९/१९

मैसर्स गोपाल सिंह राठौड,
बी-136, लक्ष्मी वाटिका, विजयपुरा,
आगरा रोड, जयपुर।

विषय:-संस्थान में सीनियर, जूनियर कंसलटेन्ट एवं प्रशिक्षण कम अकाउण्ट्स असिस्टेन्ट कार्य हेतु कार्यादेश देने बाबत।

संदर्भ:-संस्थान की ई-निविदा संख्या 3461-63 दिनांक 01.08.2019 एवं नेगोशिएशन दिनांक 03.09.2019


उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि संस्थान द्वारा 02 सीनियर कंसलटेन्ट, 02 जूनियर कंसलटेन्ट एवं 01 प्रशिक्षण कम अकाउण्ट्स असिस्टेन्ट की सेवाएँ एजेन्सी से लेने हेतु आपकी ई-निविदा की निम्नानुसार दरें अनुमोदित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि निम्नानुसार कंसलटेन्ट एवं प्रशिक्षण कम अकाउण्ट्स असिस्टेन्ट अविलम्ब उपलब्ध करावें :-

क्र. सं.	कार्य विवरण	मात्रा	नेगोशिएशन के उपरान्त प्रस्तुत दर (प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह)			
			चेक द्वारा भुगतान	सर्विस चार्ज	GST 18%	कुल राशि
1.	सीनियर कंसलटेन्ट	02	62400.00	3000.00	11772.00	77172.00
2.	जूनियर कंसलटेन्ट	02	31200.00	1500.00	5886.00	38586.00
3.	प्रशिक्षण कम अकाउण्ट्स असिस्टेन्ट	01	21100.00	0.00	3798.00	24898.00

1. यह कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 01 वर्ष के लिए प्रभावी होगा।
2. खुली निविदा प्रपत्र की समस्त शर्तें इस अनुबन्ध का अनिवार्य भाग माना जायेगा।
3. फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये गये कंसलटेन्ट एवं प्रशिक्षण कम अकाउण्ट्स असिस्टेन्ट को उनका मासिक वेतन भुगतान हर माह की 07 तारीख तक जमा करवाये जाने की समस्त जिम्मेदारी फर्म की होगी। उक्त प्रावधान के उल्लंघन पर शास्ति के रूप में राशि 1,000/- रुपये प्रतिदिन विलम्ब शुल्क के तौर पर विलम्ब अवधि तक आरोपित किया जावेगा। ठेकेदार द्वारा अगले माह के बिल के साथ कंसलटेन्ट एवं

प्रशिक्षण कम अकाउण्ट्स असिस्टेन्ट के बैंक खाता संख्या मय जमा राशि के उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा अनुबन्ध समाप्त कर निविदा शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

4. निविदा प्रपत्र में अंकित सामान्य शर्तें, विशेष शर्तें एवं **Special Conditions** की पूर्ण पालना करना फर्म की जिम्मेदारी होगी। अन्यथा निविदा में वर्णित शास्ति प्रावधान अनुसार शास्ति आरोपित की जा सकेगी।
5. उक्त के संबंध में संस्थान प्रशासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देश भी मान्य होंगे।
6. 1000/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर 15 दिवस में करार पत्र प्रस्तुत करावे। तथा पूर्व में जमा राशि 63,600/- रूपये का समायोजन करते हुए शेष कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि 90,248/- रूपये बैंक/डी.डी. के द्वारा शीघ्र जमा करावें।


(अर्जुनराम चौधरी)
अतिरिक्त निदेशक